

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या - 1602 / 2013 / बूंदी.

2. अपील संख्या - 271 / 2014 / बूंदी.

मैसर्स बूंगे इण्डिया प्रा० लि०, रामगंज बालाजी, बूंदी.

.....अपीलार्थी.

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बूंदी.

2. उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अजमेर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम. एल. पाटौदी, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 23 / 06 / 2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के आदेश दिनांक क्रमशः 13.06.2013 व 12.12.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बूंदी (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी की आलौच्य अवधियों वर्ष क्रमशः 2009-10 व 2008-09 के लिये पारित किये गये कर निर्धारण आदेश दिनांक 15.02.2012 व 08.10.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किया है।

2. इन दोनों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी को बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1998 के तहत पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करते हुए दिनांक 01.04.2006 से 08.06.2014 तक के लिये लाभ प्रदान किया गया। उक्त योजना के तहत व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधियों के दौरान डेफरमेंट ऑफ टैक्स क्लेम किया गया, जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस आधार पर अस्वीकार किया गया कि आस्थगित कर केवल पेयबल टैक्स का ही किया जा सकता है, जबकि आलौच्य अवधियों में अपीलार्थी व्यवहारी का टैक्स पेयबल शून्य है, अतः अपीलार्थी डेफरमेंट क्लेम की पात्रता नहीं रखता है। अपीलार्थी

लगातार.....2

व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों को अपीलीय अधिकारी के समक्ष चुनौती दिये जाने पर, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों से अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये द्वितीय अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि व्यवहारी को बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1998 के तहत लाभ प्राप्त था। Tax Payable का अर्थ वेट अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार Total Turnover पर Levied Tax है। वेट अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार प्रभारित कर जो धारा 2(24) के अनुसार Output Tax माना जाता है, की परिभाषा को ही Tax Payable के रूप में लिया जा सकता है। विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि कर निर्धारण वर्ष 2008-09 के मूल कर निर्धारण आदेश में व्यवहारी को योजना अनुसार लाभ प्रदान किया गया था। कर निर्धारण अधिकारी ने वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत प्रकरण को पुनः खोलते हुए मत भिन्नता के आधार पर संशोधित आदेश पारित करते हुए मांग सृजित की गयी है, जो कि वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत अनुज्ञेय नहीं है। धारा 33 की परिधि अत्यन्त सीमित है, जिसके तहत केवल लिपिकीय/टंकण त्रुटि को संशोधित किया जा सकता है। धारा 33 के तहत आदेश की मूल भावना को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 33 के तहत आदेश को परिवर्तित करते हुए मांग सृजित किया जाना विधिक एवं तथ्यात्मक दृष्टि से भी त्रुटिपूर्ण है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपीलें स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 54 वी.एस.टी. 161 (राज.) आर.एस.डब्ल्यू.एम. लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य में 'Tax Payable' को परिभाषित करते हुए वेट अधिनियम की धारा 17 के अनुसार शुद्ध देय कर को 'Tax payable' अवधारित किया गया है। अपीलार्थी व्यवहारी का प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त से पूर्णतया आच्छादित है। अतः अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

लगातार.....3

7. हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी को बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1998 के तहत लाभ प्रदान किया हुआ था। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 31.03.2006 के तहत विकल्प प्राप्त कर उक्त आस्थगन योजना में लाभ प्राप्त करने की छूट प्रदान की गयी थी।

8. जहां तक कर निर्धारण वर्ष 2008-09 के सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा धारा 33 के तहत प्रकरण में संशोधन किये जाने पर की गयी प्राथमिक आपत्ति का प्रश्न है, उक्त प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा डेफरमेंट के लिये आउटपुट की राशि की गणना कर दी गयी थी वह टैक्स पेयबल राशि की गणना की जानी चाहिये थी जो mistake apparent on record होने से संशोधन करने में कोई भूल नहीं की है अतः उक्त तर्क अस्वीकार किया जाता है।

9. अपीलार्थी द्वारा केवल आउटपुट टैक्स का आस्थगन करना चाहा है जबकि योजना अनुसार टैक्स पेयबल को ही आस्थगित किया जा सकता है जो वेट अधिनियम की धारा 17 के अनुसार आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स घटाने के पश्चात् प्राप्त होता है जबकि अपीलार्थी के प्रकरण में टैक्स पेयबल शून्य रहा है क्योंकि उन्हें आउटपुट टैक्स से अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त थी। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 54 वी.एस.टी. 161 (राज.) आर.एस.डब्ल्यू.एम. लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य में यह बिन्दु निर्णीत हो चुका है तथा कोई विवाद शेष नहीं रहता है। हस्तगत प्रकरण के तथ्यों पर यह व्यवस्था पूर्णतया लागू होती है।

10. फलतः अपीलार्थी व्यवहारी की दोनों अपीलें अस्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण अस्वीकार करते हुए अपीलीय आदेशों की पुष्टि की जाती है।

11. निर्णय सुनाया गया।

( मदन लाल मालवीय )  
सदस्य

( के. एल. जैन )  
सदस्य